<u>न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व),</u>

<u>श्रीकरणपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :09/2017

1. जगराज सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 10 ओ तेजेवाला तहसील श्री करणपुर।
2. अमृतपाल सिंह पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 ओ तेजेवाला तहसील श्री करणपुर।

- प्रार्थी-

<u>बनाम</u>

1. भाग सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख निवासी 10 ओ तेजेवाला तहसील श्री करणपुर। हाल आबाद निवासी पक्का कालेवाला तहसील फाज्लिका जिला फाज्लिका पंजाब
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

-:प्रार्थीगण की ओर सेः- अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह ,
-:अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सेः- अधिवक्ता श्री सतीश अरोडा,
-: अप्रार्थी संख्या 2 :- राजपैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए</u>

--निर्णय-- दिनांक : 24.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी भाग सिह द्वारा एक दावा अनवान भाग सिंह बनाम जगराज सिंह आदि न्यायालय में इस आश्य का पेश किया गया है। कि चक 2 ओ के खाता संख्या 31/34 के मु.न. 51 में 0.316 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे। व उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थीगण द्वारा बतौर प्रतिवादीगण उक्त दावा में अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर रिलिफ चाही कि चक 2 ओ के खाता संख्या 31/34 के खाता संख्या 31/34 के मु.न. 51 में वादी के नाम दर्ज 0.316 हैक्टर भूमि घरू मौखिक बंटवारा के आधार पर व मुखालफाना कब्जा के आधार पर प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश फरमावे। व उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। काउन्टर क्लेम हम प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के पक्ष में होने की पूरी-पूरी संभावना है। हम प्रार्थीगण के नाम पंजाब के जिला फाज्लिका की तहसील जलालाबाद के चक सुहलेवाला में कृषि भूमि है। इसी प्रकार चक 2 ओ में भी वादी के नाम कृषि भूमि है। वादी एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा करीब 50-60 वर्ष पूर्व उक्त भूमियों का घरू मौखिक बंटवारा कर लिया था बंटवारा अनुसार चक 2 ओ की वादी एवं प्रार्थीगण के नाम की तमाम भूमि हम प्रार्थीगण के हिस्सा में आई तथा पंजाब की वादी एवं प्रार्थीगण के नाम की भूमि घरू बंटवारा में वादी को दे दी। घरू बंटवारा के अनुसार ही दोनो पक्ष बंटवारा में प्राप्त भूमि पर आज तक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी के नाम की 0.316 हैक्टर भूमि 50/60 वर्ष पूर्व से ही घरू मौखिक बंटवारा के तहत प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त में लगातार शांतिपूर्वक चली आ रही है। उक्त भूमि की पानी की पर्चीया तथा सिंचाई विभाग द्वारा जारी गिरदावरिया भी प्रार्थीगण के नाम से चली आ रही है। वादी व प्रार्थीगण आपस में रिश्तेदार होने के कारण घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि एक दुसरे के नाम नही करवाई। वादी के नाम 0.316 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आने के कारण वादी के मन में लालच व बेईमानी आ चुकी है। तथा उक्त भूमि को वादी अन्यत्र बेचान कर खूर्द बूर्द करना चाहता है। यदि वादी हम प्रार्थीगण की उक्त भूमि को अन्यत्र बेचान करने या खूर्द बूर्द करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण वादी/ अप्रार्थी को जरिए अस्थाई

निषेधाज्ञा रोक पाने के अधिकारी है। व चक 2 ओ के खाता संख्या 31/34 के मु.न. 51 में वादी के नाम दर्ज 0.316 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद/ काउन्टर क्लेम अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। कि अप्रार्थीगण चक 2 ओ के खाता संख्या 31/34 के मु.न. 51 में अप्रार्थी के नाम दर्ज 0.316 हैक्टर भूमि को अप्रार्थी किसी प्रकार से रहन, बैय व वसीयत करने से बाजव ममनू रहे तथा हमारे कब्जा में अप्रार्थी स्वयं दखलअंदाजी करने या किसी अन्य से दखल अंदाजी करवाने से बाज व ममनू रहे, मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश अरोडा उपस्थिति आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य चक 2 ओ के खाता संख्या 31/34 के मु.न. 51 में जो प्रार्थी की खातेदारी 0.316 हैक्टर भूमि है। जिसका प्रार्थी खातेदार मालिक है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कभी भी घरू बंटवारा नहीं हुआ और ना ही अप्रार्थी का उक्त भूमि पर मुखालफाना कब्जा रहा है। जबकि सत्यता है। कि उक्त भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी अप्रार्थी को उक्त भूमि ठेका पर देता रहा है। आज से दो वर्ष पूर्व से लेकर आज तक ठेका की राशि अदा नहीं की। इसलिए अप्रार्थी खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पूर्वजों द्वारा किए गए घरू बंटवारा में चक 2 ओ की भूमि अप्रार्थी व पंजाब की भूमि प्रार्थी को आना कतई गलत है। जबकि सत्यता यह है कि वादी चक 2 ओ के मु.न. 51 में 1.897 हैक्टर भूमि का मालिक था। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के मु.न. 51 में से 1.581 हैक्टर भूमि का तबादला जसमेल कौर, तारा सिंह, जगराज सिंह, सुखचैन सिंह आदि को तबादला में दी थी। एवं मु.न. 37 की भूमि तबादला में प्राप्त की गई। इसी प्रकार प्रार्थी तबादला के बाद मु.न. 51 में 0.316 हैक्टर भूमि शेष रही। चूकि प्रार्थी पंजाब में रहने लग गया था। इसलिए प्रार्थी ने चार वर्ष पूर्व अपनी खातेदारी भूमि 0.316 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ठेका पर दी गई थी। वर्ष 2015-16 को ठेका की राशि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को अदा नहीं की गई और ठेका देने एंव कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया जिसके कारण प्रार्थी के द्वारा वादपत्र पेश किया गया वादपत्र से बचने के लिए काउन्टर क्लेम पेश किया और कानूनन अप्रार्थीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित करवाने के हकदार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एव राईट एवं टाईटल अप्रार्थी/ वादी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

बहस सुनी गई प्रार्थी / प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया अप्रार्थी / वादी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 31/34 के मु.न. 51 की कुल 1.897 हैक्टर नहरी भूमि में अप्रार्थी भाग सिंह के नाम दर्ज 0.316 हैक्टर भूमि उन्हे घरू बंटवारा मे प्राप्त हुई है। इसलिए इस भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी / वादी के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि वह इस भूमि का खातेदार मालिक है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी /प्रतिवादी को ठेका पर दी जाती रही हैं जिस पर उनके द्वारा कब्जा कर रखा है। खातेदार मालिक के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। चूंकि प्रार्थी को कोई हक या हिस्सा इस भूमि से प्राप्त होना है या नहीं यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

<u>जगराज सिंह आदि बनाम भाग सिंह</u>

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 09/2017</u>

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 01.03.2017 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{ **मूलचन्द लूणिया** आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.24 15:18:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: